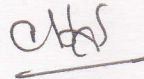


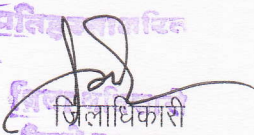
CB

योजना का नाम :- मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मसराना से किमोई मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सिविल सोयम, आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि ही उपलब्ध है। अन्य कोई वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त निर्माण हेतु 5.3025 हेक्टेयर सिविल सोयम एवं आरक्षित वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है। उक्त मोटर मार्ग का शासनादेश संख्या 3109/111(2)/06-68(प्र0अ0)/06 दिनांक 23 नवम्बर 2006 द्वारा 8 किमी० लम्बाई हेतु स्वीकृत है।


अधिशारी अभियन्ता
अ. खाण्ड लो. नि. वि.
अ. खाण्ड (टि. ग.)
अ. खाण्ड (टि. ग.)


जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल